

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-हिण्डौन सिटी जिला करौली

उनवान

1. मोहन	
2. घनश्याम	
3. कृष्ण गोपाल	
4. राजेश	पिसरान
5. आशा	स्व0 राधेश्याम
6. सरोज	जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन
7. सुधा	जिला करौली
8. सुहा	

वादीगण

बनाम

नगर आयुक्त नगर परिषद हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

मु0 न0:-120/2022 दावा बाबत घोषित किये जाने स्वामित्व भूमि व दिये जाने निर्देश तथा स्थायी निषेधाज्ञा।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पुरषोत्तम लाल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू..... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि विवादित आरजीयात खसरा न0 1184 रकबा 12 ऐअर किस्म गैर मुमकिन रास्ता कस्बा हिण्डौन राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर उसके स्थान पर किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर सशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा न0 1184 रकबा 12 ऐअर कस्बा हिण्डौन की खातेदारी के इन्द्राज बदसतुर रहेंगे। इस संबंध में पालना हेतु तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.07.2022 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनुम सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली